



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक: 896 / प्रवर्तन जोन-1/2022

दिनांक: 7.6.2022

शमन स्वीकृत पत्र

सेवा में,

मैसर्स हाई एण्ड इन्फ्रा0 प्रा0लि0
(विण्डसर पैराडाईस-II)
खसरा सं0-1005, 1006, 1007 व 1008
ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद।

विषय:- खसरा संख्या-1005 से 1008 तक ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर मैसर्स हाई एण्ड इन्फ्राटेक प्रा0लि0 द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी विण्डसर पैराडाईस-II। हेतु पूर्व स्वीकृति मानचित्र संख्या-578/जी0एच0/जोन-1/12-13 दिनांक 08.10.2013 एवं संशोधित मानचित्र संख्या-378/जी0एच0/जोन-1/14-15 दिनांक 07.10.2014 तथा शमन उपरान्त पुनः संशोधित मानचित्र संख्या-03/जी0एम0पी0/जी0एच0/2017-18 दिनांक 15.11.2018/07.02.2019 के विपरीत किये गये अतिरिक्त निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक खसरा संख्या-1005 से 1008 तक ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर मैसर्स हाई एण्ड इन्फ्राटेक प्रा0लि0 द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी विण्डसर पैराडाईस-II। हेतु पूर्व स्वीकृति मानचित्र संख्या-578/जी0एच0/जोन-1/12-13 दिनांक 08.10.2013 एवं संशोधित मानचित्र संख्या-378/जी0एच0/जोन-1/14-15 दिनांक 07.10.2014 तथा शमन उपरान्त पुनः संशोधित मानचित्र संख्या-03/जी0एम0पी0/जी0एच0/2017-18 दिनांक 15.11.2018/07.02.2019 के विपरीत किये गये अतिरिक्त निर्माण के शमन कराने हेतु आवेदन दिनांक 23.02.2022 के सन्दर्भ में प्रस्तुत शमन प्रस्ताव पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 10.05.2022 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति के क्रम में आरोपित शमन शुल्क रु0 1,27,80,029.00 (रुपये एक करोड़ सताईस लाख अस्सी हजार उनतीस) का मांग पत्र संख्या-833/प्रवर्तन जोन-1/2022 दिनांक 17.05.2022 प्राधिकरण द्वारा निर्गत किया गया। मांग पत्र के सापेक्ष आप द्वारा शमन शुल्क रु0 1,27,80,029.00 दिनांक 31.05.2022 प्राधिकरण कोष में जमा किया गया है, जिसके फलस्वरूप शमन मानचित्र में विद्यमान निर्माण का निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है:-

शर्तें/प्रतिबन्ध :-

1. भवन के उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व भवन अध्यासित नहीं किया जायेगा।
2. स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान सुनिश्चित करना होगा एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी बिल्डर/ए0ओ0ए0 की होगी।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी से अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित प्राप्त अनापत्ति में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
4. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 15% प्रस्तावित ग्रीन एरिया/पार्क जनसामान्य हेतु सुरक्षित एवं अनुरक्षित रखना होगा।
5. निर्धारित 45 मीटर मार्ग एलाईनमेंट परिवर्तन होने पर यदि भूखण्ड के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ता है तो पुनः शमन कराना होगा तथा सड़क विस्तार के अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य करना होगा।
6. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। भविष्य में किसी भी वाद विवाद की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।